प्रो० रामसेवक दुबे
कुलानुशासक

इलाहाबाद विश्वविद्यालय
इलाहाबाद – 211002
मोबाइल: 9415234851
Email: dr.rsdubeyau@gmail.com

रैगिंग के अन्तर्गत आने वाले कृत्य

निम्नलिखित में से एक या एक से अधिक कृत्य/कृत्यों को रैगिंग के अन्तर्गत माना जाएगा–

(a) कोई भी आचरण किसी भी छात्र या छात्रों द्वारा, चाहे शब्दों द्वारा बोली जाने वाली या लिखित अथवा जिससे चिढ़ाने, अशिष्टता प्रदर्शित होती हो, चाहे फिर वह कोई नया छात्र हो या पुराना, रैगिंग ही माना जायेगा।

(b) कोई भी नया छात्र पुराने छात्र या छात्रों द्वारा उपद्रवी या अनुशासनहीन गतिविधियों का शिकार बनता है। उनकी किसी भी हरकत से झुँझलाइट, कठिनाई, शारीरिक–परेशानी या मनोवैज्ञानिक नुकसान, भय या आशंका पैदा होने की संभावना हो, तो इन हरकतों को रैगिंग का दर्जा दिया जा सकता है।

(c) किसी भी छात्र को कोई भी ऐसा कार्य करने के लिए कहना जिससे उसे पीड़ा या शर्मिंदगी की भावना का सामना करना पड़े, या छात्र की मानसिकता पर प्रतिकूल असर हो, रैगिंग माना जायेगा।

(d) एक वरिष्ठ छात्र द्वारा किसी भी नवप्रवेशी छात्र या अन्य छात्र की नियमित शैक्षिक गतिविधि को बाधित, या परेशान करने वाला कार्य रैगिंग माना जायेगा।

(e) एक व्यक्ति या छात्रों के समूह के शैक्षिक कार्यों को पूरा करने के लिए किसी भी नवप्रवेशी छात्र या अन्य छात्र की सेवाओं का शोषण रैगिंग माना जायेगा।

(f) कोई भी ऐसा कृत्य जो विशिष्ट छात्रों द्वारा किसी भी नए छात्र या अन्य छात्रों पर जबरन वित्तीय वसूली या आर्थिक बोझ डालना रैगिंग माना जायेगा।

(g) शारीरिक शोषण के सभी प्रकार, यौन शोषण का कोई भी कृत्य, समलैगिंक हमले, अश्लील और भद्दा कृत्य, इशारों द्वारा किसी छात्र को शारीरिक या स्वास्थ्य नुकसान या किसी अन्य खतरे का कारण बनना रैगिंग माना जायेगा।

(h) कोई भी हरकत, बोले गये शब्दों, ईमेल, पोस्ट, सार्वजनिक अपमान द्वारा अधिनियम के दुरुपयोग से विकृत खुशी पाना या कामुक रोमांच में सक्रिय या निष्क्रियता से किसी भी नए व पुराने छात्र की असहजता में भाग लेने से रोमांच मिलना, रैगिंग माना जायेगा।

(i) कोई भी ऐसा कार्य जो कि एक नवप्रवेशी या किसी भी अन्य छात्र के मानसिक स्वास्थ्य और आत्मविश्वास को प्रभावित करता है, रैगिंग माना जायेगा।